>

Title: Regarding powers of Gram Sarpanch in Rajasthan-laid.

**श्रीमती जसकौर मीना (दौसा):** महोदय, भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को समृद्ध कर ग्रामीण विकास को महत्व देते हुए ग्राम पंचायतों को पूर्ण सक्षम बनाया है।... (व्यवधान) लेकिन, राजस्थान प्रांत में 73वें संशोधन के प्रावधानों की अनुपालना नहीं हो रही है।... (व्यवधान) सरपंच लोग किसी भी प्रकार के अपने पंचायत के विकास कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।... (व्यवधान) मनरेगा के कार्यों के अनुमोदन भी विधायकों की इच्छा से होता है।... (व्यवधान)

अत: सदन के माध्यम से निवेदन है कि ग्राम सरपंचों को उनकी पंचायत में कार्य करने के लिए स्वतंत्र किया जाए।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** श्री मितेश पटेल (बकाभाई) - उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** श्री गिरीश भालचन्द्र बापट - उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)